

**इलाहाबाद उच्च न्यायालय, लखनऊ****आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 1899/2026**

अंकित सिंह

.....आवेदक(ओं)

बनाम

प्रधान सचिव गृह, लखनऊ के माध्यम से उत्तर प्रदेश राज्यविरोधी पक्ष(ओं)

आवेदक(ओं) के अधिवक्ता	:	सचिन वर्मा
विरोधी पक्ष(ओं) के अधिवक्ता	:	शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 28**माननीय न्यायमूर्ति राजीव भारती**

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता और राज्य के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।
2. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि गैंग चार्ट में आवेदक के विरुद्ध एक मामला दिखाया गया है। उस एक मामले में आवेदक को जमानत पर रिहा किया जा चुका है। जमानत आदेश पत्रावली में है। उक्त मामले के अलावा, आवेदक का एक और आपराधिक मामला दर्ज है, जिसका विवरण आज दाखिल किए गए पूरक हलफनामे में दिया गया है, जिसे अभिलेख में शामिल किया गया

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

है। उस मामले में भी, आवेदक पूरक हलफनामे के अनुलग्नक संख्या 1 के रूप में दाखिल आदेश के तहत जमानत पर है। आवेदक के खिलाफ कोई अन्य मामला लंबित नहीं है। आवेदक 1.11.2021 से जेल में है।

यह भी प्रस्तुत किया गया है कि आवेदक उत्तर प्रदेश गैंगस्टर्स और असामाजिक गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1986 की धारा 19(4)(ख) की आवश्यकता के अनुसार वचन देने के लिए तैयार है।

यह भी प्रस्तुत किया गया है कि आवेदक के न्यायिक हिरासत से भागने या गवाहों को प्रभावित करने की कोई संभावना नहीं है। यदि आवेदक को जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा।

3. विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने जमानत की प्रार्थना का विरोध किया, लेकिन आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उपरोक्त तथ्यों पर तर्क दिए गए का खंडन नहीं कर सके।

4. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करते हुए, और आरोपों की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, आवेदक को गैंग चार्ट में दर्शाए गए मामले में और साथ ही ऊपर उल्लिखित तथा पूरक हलफनामे में स्पष्ट किए गए अन्य मामले में, पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा दी गई दलीलों को ध्यान में रखते हुए, उस अवधि के लिए जमानत पर रिहा किया गया है जिसके लिए वह जेल में है, और मामले की गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, मैं आवेदक को जमानत पर रिहा करने के लिए इसे उपयुक्त मामला पाता हूँ।

5. आवेदक अंकित सिंह, जो मुकदमा अपराध संख्या 41/2023, उत्तर प्रदेश गैंगस्टर्स और असामाजिक गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1986 की धारा 2/3 के तहत

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

थाना डीह, जिला रायबरेली में आरोपी है, को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुरूप समान राशि के व्यक्तिगत मुचलके और दो जमानती प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के साथ जमानत पर रिहा किया जाए, जो न्याय के हित में लगाई जा रही हैं:-

- (i) आवेदक मुकदमे की सुनवाई के दौरान साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।
 - (ii) आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा जिससे वह न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों का खुलासा करने से रोके या साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ करे।
 - (iii) आवेदक इस आशय का वचन पत्र दाखिल करेगा कि जब गवाह न्यायालय में उपस्थित हों तो वह साक्ष्य के लिए निर्धारित तिथियों पर स्थगन की मांग नहीं करेगा।
 - (iv) आवेदक उत्तर प्रदेश गैंगस्टर्स और असामाजिक गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1986 की धारा 19(4)(ख) की आवश्यकता के अनुसार यह वचन पत्र भी दाखिल करेगा कि वह किसी भी मामले में शामिल नहीं होगा या जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा।
- इस शर्त का उल्लंघन होने पर, विचारणीय न्यायालय इसे जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग मानकर कानून के अनुसार आदेश पारित कर सकती है।
- (vi) विचारणीय न्यायालय द्वारा उचित समझी जाने वाली कोई अन्य शर्त भी लगाई जा सकती है।

6. तदनुसार जमानत आवेदन स्वीकार किया जाता है।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(न्यायमूर्ति राजीव भारती)

23 मार्च, 2026

केकेबी/

Translated Version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।